FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतू मुकाम

देवीसिंह वगैरा बनाम कल्याणसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद 88,40,91,188 नं. 07 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/01/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,40,91,188 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/2/2019 को पेश हो।	
04/02/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामिल प्राप्त तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/02/19 को पेश हो।	
20/02/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय मक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 15/04/19 को पेश हो।	
15/04/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय मक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 17/06/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

17/06/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय [illegible] उपस्थित। [illegible] अधिकारी दिगर [illegible] हैं। लिहाजा इल्तवा होकर दिनांक 26/08/19 को पेश हो। [signature]

26/08/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील कुछ तामील बेवापस। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/09/19 को पेश हो। [signature]

25/09/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील कुछ तामील बेवापस। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/10/19 को पेश हो। [signature]

09/10/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-49 तहसीलदार कामा का नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 से 6 की ओर से वकील श्री रिछपालराम सिहाग द्वारा वकालातनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-7 से 47 को वादी वकील द्वारा तर्क मय [illegible] किया गया जिनसे कोई दस्तकुआ नहीं चाही गई है। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-48 का सम्मन तलबाना मय रजिस्ट्री ख्वार्च पूर्व में पेश किया गया जिनकी एडी पुन: प्राप्त नहीं हुई है इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 04/12/19 को पेश हो। [signature]

प्रतिवादी संख्या 7 से 47 की ओर से कोई दस्तकुआ नहीं चाही गई है प्रतिवादी संख्या 7 से 47 को तर्क किया जाता [illegible]

[signature]

सो मसि है [illegible]

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

04/12/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-48 का सम्मन पूर्व के जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाया गया जिनको करीब 2 माह का समय [illegible] जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। [illegible]

ह.वि.

कल्याणसिंह

लालमसिंह

सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5-45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या - 4 उपस्थित था उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा प्रतिवादी संख्या - 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी वकील द्वारा दस्तावेजो की प्रति मिसल बन्दोबस्त (प्रथम खतौनी) खेत खसरा नम्बर - 449, 443, 388, 390, 228, 236, 520, 522, 486, 1, 406, 21, 520, 518, 510 ग्राम नौसर तहसील बायतु पेश किये गये व वादी वकील द्वारा वाद के समर्थन में pw-1- लीलमसिंह पुत्र श्री हडमतसिंह जाति - राजपूत निवासी - नौसर तहसील - बायतु जिला - बाड़मेर व pw-2- सोभासिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति - राजपूत निवासी - नौसर तहसील - बायतु के शपथ-पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW-1 - कल्याणसिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति - राजपूत निवासी - नौसर तहसील - बायतु का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी प्रतिवादी साक्ष्य बन्द किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक - 17/01/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/01/2020	वादी व प्रतिवादी संख्या - 1 से 6 के वकील उप० दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या - 2 से 6 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] होकर पत्रावली मौसल शुमार हो इन्द्राज नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व अहकाम हुक्म की ता... में जारी हुए

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 07/2019

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. देवीसिंह पुत्र हड़मतसिंह
2. लीलमसिंह पुत्र हड़मतसिंह
3. ओमसिंह पुत्र हड़मतसिंह
4. राजूसिंह पुत्र हड़मतसिंह
5. श्रवणसिंह पुत्र हड़मतसिंह
   जातियान्–राजपूत,
   निवासीयान–नौसर, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. कल्याणसिंह पुत्र भीमसिंह
2. हड़मसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. जालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. कंवरीकंवर पत्नी चैनसिंह
5. समुन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह
6. सवाईसिंह पुत्र चैनसिंह
7. मोहब्तसिंह पुत्र भीमसिंह
8. पर्वतसिंह पुत्र भीमसिंह
9. खेतसिंह पुत्र भवानीसिंह
10. नारायणसिंह पुत्र धीरसिंह
11. पेंपसिंह पुत्र गेमरसिंह
12. दुर्गसिंह पुत्र वीरमसिंह
13. अर्जुनसिंह पुत्र वीरमसिंह
14. रामसिंह पुत्र सतीदानसिंह
15. चनणसिंह पुत्र सतीदानसिंह
16. चैनसिंह पुत्र भंवरसिंह
17. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह
18. नेपालसिंह पुत्र भंवरसिंह
19. विशनसिंह पुत्र भंवरसिंह
20. झुठसिंह पुत्र उदयसिंह
21. गुलाबसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
22. जबरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
23. सांगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
24. भंवरसिंह पुत्र राणसिंह
25. सुखसिंह पुत्र राणसिंह
26. मांगुसिंह पुत्र दीपसिंह
27. कुम्भसिंह पुत्र दीपसिंह
28. मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह
29. नेनकंवर पत्नी भंवरसिंह
30. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह
31. मनोहरसिंह पुत्र भंवरसिंह
32. सगतसिंह पुत्र हमीरसिंह
33. देसकंवर पत्नी हमीरसिंह
34. मानसिंह पुत्र जयसिंह
35. जालमसिंह पुत्र जयसिंह
36. जबरसिंह पुत्र धुकसिंह
37. मूलसिंह पुत्र धुकसिंह
38. शैतानसिंह पुत्र धुकसिंह
39. हठेसिंह पुत्र धुकसिंह
40. विशनसिंह पुत्र धुकसिंह
41. सुरजसिंह पुत्र धुकसिंह
42. कंवरीकंवर उर्फ सुआ पुत्र धुकसिंह
    जातियान् राजपूत निवासीयान् नौसर
    जातियान्–जाट, निवासीयान–पूनियों
    का तला, तहसील–गिडा,
    जिला–बाड़मेर
43. बंशा पुत्र पैलाद
44. तोगा पुत्र ...
45. चुनी पत्नी पैलाद जाति ...
    निवासी ...
46. मेती पत्नी ...
47. मूलाराम पुत्र ...
    निवासी नौसर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

48. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी
49. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 6

–: निर्णय :– दिनांक 17.01.2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा नौसर पटवार मण्डल नौसर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 449, 705/406, 443, 696/388, 222, 228, 486, 390 रकबा क्रमशः 20.06, 15.00, 00.15, 08.01, 137.07, 88.12, 19.08, 26.03, 27.19 बीघा, मौजा केरली नाडी पटवार मण्डल नौसर के खेत खसरा नम्बर 1, 21 रकबा क्रमशः 163.02, 59.01 बीघा व मौजा दानाणियों की ढाणी पटवार मण्डल नौसर के खेत खसरा नम्बर 519, 520, 556/508, 510 रकबा क्रमशः 16.16, 112.15, 132.03, 52.05 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 एक ही पूर्वज कल्याणसिंह के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा उपस्थित होकर, काउन्टर क्लेम मय इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 7 से 47 औपचारिक पक्षकार बनाये गये है। जिनके विरूद्व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा किसी प्रकार की इस्तदुआ नहीं चाही गई है। जिनको वादी वकील द्वारा तर्क किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा कल्याणसिंह के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण कल्याणसिंह के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की ...ो की जाती है कि निम्नानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार व हिस्सा घोषित किया जाता है।

मौजा	खसरा नम्बर	रकबा	वादीगण प्रत्येक का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का हिस्सा
नौसर	449	20.06	1/72	1/12	1/72	1/12	1/12
	705/406	15.00	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	443	00.15	1/288	1/48	1/288	1/48	1/48
	696/388	08.01	1/288	1/48	1/288	1/48	1/48
	222	137.07	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	228	88.12	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	236	19.08	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	486	26.03	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	390	27.19	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
केरलीनाडी	1	163.02	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	21	59.01	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
दोनाणियों की ढाणी	519	16.16	1/48	1/8	1/48	1/8	1/8
	520	112.15	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	556/508	132.03	1/216	1/36	1/216	1/36	1/36
	510	52.05	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास
17.1.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

देवीसिंह पुत्र हड़मतसिंह वगैरह — कल्याणसिंह पुत्र भीमसिंह वगैरह

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–07 / 19. निर्णय दिनांक :– 17.01.2020

वादी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.01.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार व हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

मौजा	खसरा नम्बर	रकबा	वादीगण प्रत्येक का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा	प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का हिस्सा
नौसर	449	20.06	1/72	1/12	1/72	1/12	1/12
	705/406	15.00	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	443	00.15	1/288	1/48	1/288	1/48	1/48
	696/388	08.01	1/288	1/48	1/288	1/48	1/48
	222	137.07	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	228	88.12	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	236	19.08	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	486	26.03	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	390	27.19	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
केरलीनाडी	1	163.02	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	21	59.01	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
दानाणियों की ढाणी	519	16.16	1/48	1/8	1/48	1/8	1/8
	520	112.15	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24
	556/508	132.03	1/216	1/36	1/216	1/36	1/36
	510	52.05	1/144	1/24	1/144	1/24	1/24

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

ग्रह आज तारीख 17.01.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास 17.1.2020

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

बनाम

वादीगण

1. देवीसिंह पुत्र हड़मतसिंह
2. लीलमसिंह पुत्र हड़मतसिंह
3. ओमसिंह पुत्र हड़मतसिंह
4. राजूसिंह पुत्र हड़मतसिंह
5. श्रवणसिंह पुत्र हड़मतसिंह
   जातियान्–राजपूत,
   निवासीयान–नौसर, तहसील–बायतु,
   जिला–बाड़मेर

प्रतिवादीगण

1. कल्याणसिंह पुत्र [illegible]
2. हड़मसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. जालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. कंवरीकंवर पत्नी चैनसिंह
5. समुन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह
6. सवाईसिंह पुत्र चैनसिंह
7. मोहबतसिंह पुत्र भीमसिंह
8. पर्वतसिंह पुत्र भीमसिंह
9. खेतसिंह पुत्र भवानीसिंह
10. नारायणसिंह पुत्र धीरसिंह
11. पेंपसिंह पुत्र गेमरसिंह
12. दुर्गसिंह पुत्र वीरमसिंह
13. अर्जुनसिंह पुत्र वीरमसिंह
14. रामसिंह पुत्र सतीदानसिंह
15. चनणसिंह पुत्र सतीदानसिंह
16. चैनसिंह पुत्र भंवरसिंह
17. उम्मेदसिंह पुत्र भंवरसिंह
18. नेपालसिंह पुत्र भंवरसिंह
19. विशनसिंह पुत्र भंवरसिंह
20. झुठसिंह पुत्र उदयसिंह
21. गुलाबसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
22. जबरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
23. सांगसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
24. भंवरसिंह पुत्र राणसिंह
25. सुखसिंह पुत्र राणसिंह
26. मांगुसिंह पुत्र दीपसिंह
27. कुम्भसिंह पुत्र दीपसिंह
28. मानसिंह पुत्र प्रतापसिंह
29. नेनकंवर पत्नी भंवरसिंह
30. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह
31. मनोहरसिंह पुत्र भंवरसिंह
32. सगतसिंह पुत्र हमीरसिंह
33. देसकंवर पत्नी हमीरसिंह
34. मानसिंह पुत्र जयसिंह
35. जालमसिंह पुत्र जयसिंह
36. जबरसिंह पुत्र धुकसिंह
37. मूलसिंह पुत्र धुकसिंह
38. शैतानसिंह पुत्र धुकसिंह
39. हठेसिंह पुत्र धुकसिंह
40. विशनसिंह पुत्र धुकसिंह
41. सुरजसिंह पुत्र धुकसिंह
42. कंवरीकंवर उर्फ सुआ पुत्र धुकसिंह
    जातियान् राजपूत निवासीयान् नौसर
    जातियान्–जाट, निवासीयान–पूनियों
    का तला, तहसील–गिड़ा,
    जिला–बाड़मेर
43. बंशा पुत्र पैलाद
44. तोगा पुत्र पैलाद
45. चुनी पत्नी पैलाद जाति पुरोहित
    निवासी नौसर
46. मेती पत्नी पाबूराम
47. मूलाराम पुत्र सवाराम जाति रबारी
    निवासी नौसर
48. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा
    ग्रामीण बैंक [illegible]
49. तहसीलदार, बायतु

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.12.26 18:11:36 IS
Reason: SelfAttested